

496-

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक :- २५.१.१२/२०१४

संख्या- १ स्था० (२) १००१/२०१० - ५२४४ भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य पशु चिकित्सा सेवा की शर्तों को विनिश्चित एवं नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय - १

सामान्य प्रावधान

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । -

- (१) यह नियमावली बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली २०१४ कही जा सकेगी ।
- (२) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (३) यह बिहार सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

२. परिभाषाएँ । -

इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
- (ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्यपाल, बिहार सरकार ;
- (iii) "सेवा नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार ।
- (iv) "विभाग" से अभिप्रेत है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।
- (v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।
- (vi) "विशेषज्ञ कर्तव्य" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित वैसी सेवा / पद जिसके लिए विशिष्ट योग्यता/अनुभव अपेक्षित है ।
- (vii) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत है वैसे पशु चिकित्सक जिसे पशु चिकित्सा अथवा पशुपालन विज्ञान के किसी विषय में M.V. Sc. अथवा Ph.D. या समकक्ष उच्चतर डिग्री प्राप्त है ।

- (viii) "मान्यता प्राप्त संस्थान" से अभिप्रेत है वैसे शिक्षण, शोध अथवा अन्य संस्थान, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (केन्द्रीय अधिनियम 52/ 1984) के प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध है ;
- (ix) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार पशुचिकित्सा सेवा ;
- (x) "सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार पशुचिकित्सा सेवा में नियुक्त पशुचिकित्सक ;
- (xi) "राज्य परिषद्" से अभिप्रेत है बिहार पशुचिकित्सा परिषद् ;
- (xii) बैचलर इन वेटनरी साइंस एण्ड एनिमल हसबैन्ड्री (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री से अभिप्रेत है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त बी०वी०एस०सी० एवं ए०एच० की डिग्री ;
- (xiii) एम०वी०एस०सी० से अभिप्रेत है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त एम०वी०एस०सी० की डिग्री ;
- (xiv) 'बिहार वेटनरी सेवा' से अभिप्रेत है बिहार एवं उड़ीसा वेटनरी सर्विस वर्ग-1 (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) असैनिक सेवा नियमावली के अधीन अनुमान्य बिहार वेटनरी सेवा ;
- (xv) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है सेवा के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति दिये जाने हेतु विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति ।

अध्याय- 2

बिहार पशुचिकित्सा सेवा

3. सेवा का गठन । -

- (1) राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से नियुक्त पशुचिकित्सक (वेटनरी चिकित्सक) की सेवा को बिहार पशुचिकित्सक सेवा कहा जा सकेगा ।
- (2) बिहार पशु चिकित्सा सेवा में निम्नलिखित दो संवर्ग होंगे :-
 - (क) बिहार पशुचिकित्सा सेवा - सामान्य संवर्ग
 - (ख) बिहार पशुचिकित्सा सेवा - विशेषज्ञ संवर्ग
- (3) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से बिहार पशुपालन सेवा/बिहार वेटनरी सेवा में नियुक्त एवं कार्यरत पशु चिकित्सक स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे ।
- (4) राज्य सरकार पशु चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं, शोध एवं प्रशिक्षण आदि को बढ़ावा देने के लिए कुछ पदों को विशेषज्ञ पदों के रूप में चिन्हित कर सकेगी । इन पदों की अर्हता पशु चिकित्सा अथवा पशुपालन विज्ञान के किसी विषय में M.V. Sc. अथवा Ph.D. या समकक्ष

उच्चतर डिग्री होगी। विशेषज्ञ पदों का सरकार द्वारा विनिश्चित नियमों का ध्यान रखते हुए पुनर्निर्धारण करने की शक्ति प्रशासी विभाग को होगी।

- (5) सामान्य संवर्ग में निम्नलिखित पद पद- सोपान होंगे :-
- (i) प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (मूल कोटि)
 - (ii) अनुमंडल स्तर के पद यथा अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (प्रथम प्रोन्नति स्तर)
 - (iii) जिला स्तर के पद यथा जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)
 - (iv) प्रमंडल स्तर के पद यथा क्षेत्रीय निदेशक एवं समकक्ष पद (तृतीय प्रोन्नति स्तर)
 - (v) अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय (चतुर्थ प्रोन्नति स्तर)

नोट :- उपर्युक्त क्रमांक (ii) से (v) में उल्लिखित पदों की संख्या, समय-समय पर, विभाग द्वारा, विनिश्चित सामान्य संवर्ग एवं विशेषज्ञ संवर्ग के लिए अलग-अलग संख्या विनिश्चित की जायेगी।

4. बिहार पशुचिकित्सा सेवा में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ पदों पर होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस नियमावली की विहित प्रक्रिया अनुसार इनका चयन किया जायगा। यह चयन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा और सरकार द्वारा विनिश्चित आयु सीमा एवं आरक्षण नियमों का पालन आवश्यक होगा।

5. अर्हता। -

- (1) सामान्य संवर्ग/विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०बी०एस०सी० एण्ड ए०एच० (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री होगी। किसी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पशुचिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए अधिमानता दी जा सकेगी।
- (2) सामान्य संवर्ग/विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु, पशु चिकित्सकों के चयन के लिए, अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं मौखिक साक्षात्कार के लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के लिए कुल विनिश्चित अंक 100 (एक सौ) होंगे एवं इनका विनिश्चय निम्नवत होगा :-

सामान्य संवर्ग । -

- (i) बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) में प्राप्तांक कुल 50 अंक
- (ii) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री कुल 05 अंक
- (iii) सरकारी पशुचिकित्सालयों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध
के आधार पर नियुक्ति उपरांत कार्यानुभव के लिए अंक कुल 20 अंक
प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 4 अंक एवं अधिकतम
20 अंक दिये जा सकते हैं।
- (iv) मौखिक साक्षात्कार कुल 25 अंक

विशेषज्ञ संवर्ग । -

- (i) एम0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (M.V.Sc. & A.H.) में प्राप्तांक कुल 50 अंक
- (ii) सरकारी पशुचिकित्सालयों में नियमित /अनुबंध नियुक्ति
उपरांत कार्य अनुभव कुल 20 अंक
प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 4 अंक एवं अधिकतम 20 अंक दिये जा सकते हैं।
- (iii) मौखिक साक्षात्कार कुल 30 अंक
- (3) परीक्षा होने वाला वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कौटिवार विनिश्चय की जाय।
- (4) अभ्यर्थी को अच्छे नैतिक चरित्र एवं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- (5) अभ्यर्थी को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अथवा उसके अधीन गठित अन्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

टिप्पणी । -

- (क) बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किन्हीं अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें $50 \times 0.5 = 25$ अंक दिये जायेंगे।
- (ख) सामान्य / विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्धारित अंक के अनुसार होगा।



6. आरक्षण ।—

सेवा या संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय— 3

सीधी भर्ती

7. सेवा के दोनों संवर्गों की मूल कोटि में भर्ती इस नियमावली के अध्याय— 2 के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित कर सीधी भर्ती से की जायगी। दोनों संवर्गों की वरीयता सूची आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर अलग-अलग विनिश्चित की जायगी।

8. विभाग प्रति वर्ष 1, अप्रैल की स्थिति के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा मूल कोटि के पदों को भरी जाने वाली आरक्षणवार रिक्तियों की गणना कर आयोग को भेजेगा।

9. परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि ।—

नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायगी। उनकी सेवा अभिलेख उपलब्ध रहने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् स्थायी/सम्पुष्ट की जा सकेगी।

टिप्पणी ।—

बिहार पशुपालन सेवा पदाधिकारी विभागीय परीक्षा नियमावली 1967 (ज्ञाप संख्या— VIER (1) 67 ए0 एच0 5718 दिनांक— 15वीं मई, 1967) में निहित प्रावधानों को पूरा करते हों एवं विहित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हो।

अध्याय— 4

पदों का वर्गीकरण, प्रोन्नति आदि

10. प्रोन्नति के लिए विनिश्चित अर्हताएँ ।—

- (1) दो वर्षों की संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि के उपरान्त, पशुचिकित्सकों की सेवा अध्याय— 3 के नियम—9 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सम्पुष्ट की जायेगी।
- (2) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित बातों पर विचार कर प्रोन्नति अनुशंसा करेगी:—
 - (क) चारित्रिक अभ्युक्तियाँ।
 - (ख) स्वच्छता प्रतिवेदन।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर विनिश्चित अन्य मापदंड।

- (3) प्रोन्नति के लिए कालावधि एवं अन्य शर्तें विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के पश्चात् अलग से विनिश्चित की जायगी।
- (4) अपर निदेशक के नीचे के पदों पर प्रोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष उक्त समिति के वरीयतम प्रधान सचिव होंगे। अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। इन दोनों विभागीय प्रोन्नति समितियों के सदस्य सचिव प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग होंगे तथा उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जन जाति के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित होंगे।

अध्याय- 5

प्रकीर्ण

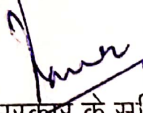
11. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। -

विभाग इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में होने वाली किसी कठिनाई को विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, दूर कर सकेगा।

12. निरसन एवं व्यावृत्ति। -

- (1) संकल्प संख्या- 1291 - D दिनांक- 11.04.1935 द्वारा जारी बिहार एवं उड़ीसा वेटनरी सर्विस वर्ग- 1 के (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) असैनिक सेवा नियमावली एतद् द्वारा निरसित की जाती है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

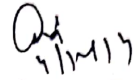
बिहार राज्यपाल के आदेश से।


सरकार के सचिव। 4/12/14

ज्ञापांक-1 स्था0 (2) 1001/2010 - ५२४७ पटना, दिनांक- ०५/१२/२०१४

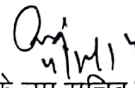
प्रतिलिपि- उप सचिव, ई0 गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के उप सचिव

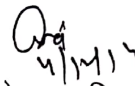
ज्ञापांक-1 स्था0 (2) 1001/2010 - ५२४७ पटना, दिनांक- ०५/१२/२०१४

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

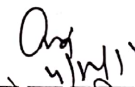
ज्ञापांक-1 स्था0 (2) 1001/2010 - ५२४७ पटना, दिनांक- ०५/१२/२०१४

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

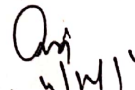
ज्ञापांक-1 स्था0 (2) 1001/2010 - ५२४७ पटना, दिनांक- ०५/१२/२०१४

प्रतिलिपि- निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी विशेष उप निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1 स्था0 (2) 1001/2010 - ५२४७ पटना, दिनांक- ०५/१२/२०१४

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव